न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–280/2026

(फुलपरास थाना कांड संख्या–82/2026; अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम शैलेन्द्र यादव

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
24.04.2026 लगातार...	आवेदक अभियुक्त **शैलेन्द्र यादव,** उम्र–26 वर्ष, पति–स्व0 घुरण यादव, सा0–सिमरा, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी की ओर से फुलपरास थाना कांड संख्या–82/2026 (अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत दिनांक 25.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राज लाल यादव द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक निर्दोष है तथा उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (न्यायालय) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं आवेदक इस कांड के अलावे चार अपराधिक इतिहास (फुलपरास थाना कांड सं0–467/2022, 521/2025, उत्पाद झंझारपुर थाना कांड सं0–130/2024, 131/2025) है तथा सभी कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को शंका के आधार पर एवं ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है। आवेदक के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक कानून का पालन करने वाले न्यायप्रिय नागरिक है तथा उसके फरार होने एवं उनके द्वारा साक्ष्य से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने की संभावन नही है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि आवेदकगण प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा छापेमारी के क्रम मे घटनास्थल से भागने में सफल रहे परन्तु स्थानीय लोग एवं चौकीदार द्वारा आवेदक की पहचान किया गया एवं उनके द्वारा फेकें गए झोले से 8.25 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। आवेदक का इस कांड के अलावे चार अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 04.03.2026 को विशेष छापामारी के क्रम में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल स्थानीय चौकीदार के साथ जैसे ही ग्राम सिमरा स्थित आवेदक शैलेन्द्र यादव के घर के पास पहुंचे तो पुलिस गाड़ी को देखकर आवेदक शैलेन्द्र यादव अपने हाथ मे लिए आसमानी रंग के झोले को अपने घर के सामने खेत में फेंककर भागने में सफल रहे तथा उक्त झोला से 6.750 लीटर रॉयल ग्रीन विदेशी शराब एवं 1.5 लीटर किंगफिशर बियर, दोनो मिलाकर 8.25 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 21 एवं आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे चार अन्य अपराधिक इतिहास (फुलपरास थाना कांड सं0–467/2022,	

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–280/2026
(फुलपरास थाना कांड संख्या–82/2026; अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम शैलेन्द्र यादव

24.04.2026	521/2025, उत्पाद झंझारपुर थाना कांड सं0–130/2024, 131/2025) है तथा सभी कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 03, 04, 05, 08 एवं 09 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से आवेदक के फरार होने मे सफल रहने एवं आवेदक द्वारा घटनास्थल पर फेंके गए झोला से शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के भंडारण एवं कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, आवेदक के आपराधिक इतिहास तथा कांड मे की गयी बरामदगी एवं बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **शैलेन्द्र यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 24.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner